

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन, पटना  
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,  
विधायक अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक : 19-4-12

विषय : गैर योजना मांग संख्या 20 शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी- 200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0006-विधायक अस्पताल, पटना विपत्र कोड- N2210012000006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹ 82,96,500/- (बेरासी लाख छियान्चे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत वर्तमान वर्ष 2012-2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹ 82,96,500/- (बेरासी लाख छियान्चे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि०(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि०(2) दिनांक-8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-3388वि०(2) दिनांक 18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी- 200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0006-विधायक अस्पताल, पटना विपत्र कोड- N2210012000006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से निकासी की जायेगी।

4. मशीने एवं उपस्कर, सामग्री एवं पूर्तियों तथा दवा भंडार इकाई में आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पटना होंगे तथा शेष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के उपाधीक्षक /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
18/4/2012




1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

15. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।
8. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
9. आवंटित राशि से किए गए क्य में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
10. वाहन का ईंधन एवं रखरखाव इकाई में आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निर्देश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय ।
11. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
12. वित्त विभागीय पत्रांक- 3833/वि0(2) दिनांक-02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011-12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है ।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
14. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

  
18/4/2012

(संजय कुमार)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 07(7)9

/पटना, दिनांक : 19-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्थानीय अस्पताल, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को मौंच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित

  
18/4/2012  
सरकार के संयुक्त सचिव



विवरणी

व्यय शीर्ष -2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं-0006-विधायक अस्पताल, पटना विपत्र कोड एन-2210012000006 अन्तर्गत वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2012-2013 में आवंटित राशि ।

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (01-01)	4856000	3884800	971200
2	जीवन यापन भत्ता (01-03)	3253000	2602400	650600
3	मकान किराया भत्ता (01-04)	971000	776800	194200
4	परिवहन भत्ता (01-05)	110000	88000	22000
5	चिकित्सा भत्ता (01-06)	41000	32800	8200
6	अन्य भत्ता (01-07)	49000	39200	9800
	योग वेतन एवं भत्ते:-	9280000	7424000	1856000
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	200000	100000	100000
8	यात्रा व्यय (11-01)	15000	7500	7500
9	कार्यालय व्यय (13-01)	45000	22500	22500
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13-02)	125000	62500	62500
11	विद्युत प्रभार (13-04)	50000	25000	25000
12	विधि प्रभार (13-05)	100000	50000	50000
13	वर्दी/ पोषाक (13-06)	10000	5000	5000
14	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	100000	50000	50000
15	दवा भंडार (21-02)	1000000	500000	500000
16	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01)	1000	0	1000
17	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	100000	50000	50000
	कूल योग:-	11026000	8296500	2729500

कुल (बेरासी लाख छियान्वे हजार पाँच सौ) रूपये मात्र

*Sm.*

सरकार के संयुक्त सचिव

07(7)0

19-4-12